सत्रवाद सं0 261/2023

जिला–खूंटी

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय खूंटी

उपस्थितः–

प्राची मिश्रा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
खूंटी
दिनांक 29.01.2026

सत्रवाद सं0 261/2023
CNRJHKH010020152023

(प्रस्तुत वाद खूंटी थाना कांड सं0 126/2023 सामान्य वाद सं0 619/2023 से उत्सृजित है जिसका दौरा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी के द्वारा दिनांक 18.12.23 को किया गया है ।)

राज्य द्वारा सुजीत मुण्डा---------------------------- अभियोजन

बनाम्
ए–1 मंगरा हास्सा उर्फ राय, पिता मंगा हास्सा, साकिन–सारिदकेल, थाना–खूंटी, जिला–खूंटी
ए–2 सुखराम मुण्डा, पिता–स्व0 कोन्ता मुण्डा, साकिन–रिडाडेह, थाना–खूंटी जिला–खूंटी
ए–3 किसन मुण्डा उर्फ कृष्णा, पिता–मंगरा मुण्डा, साकिन–गोधरा, थाना–खूंटी, जिला–खूंटी
ए–4 मंगरा पाहन, उर्फ पाका पिता–लेंगा पाहन, साकिन–सारिदकेल, थाना–खूंटी, जिला–खूंटी.....................................अभियुक्तगण

अभियोजन पक्ष की ओर से :– श्रीमती मंजू कच्छप अपर लोक अभियोजक
बचाव पक्ष की ओर से :– श्री बी0सी0 वनर्जी एवं श्रीमती कबिता कुमारी, विद्वान अधिवक्ता

अनुलग्नक - II

घटना की तिथि	06.09.2023
प्राथमिकी की तिथि	07.09.2023
आरोप–पत्र की तिथि	06.12.2023
आरोप गठन की तिथि	30.01.2024
गवाही शुरु होने की तिथि	02.04.2024
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	22.01..2026
निर्णय की तिथि	29.01.2026
सजा की तिथि, अगर हुई हो	N.A

अभियुक्त की विवरणी :

अभियुक्त क्रम स.-	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में बीती हो, धारा 428 Cr.P.C. हेतु

ए–1	मंगरा हास्सा उर्फ राय,	10.09.23	------	धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम	रिहा		About two years four months
ए–2	सुखराम मुण्डा,	19.09.23	-------	धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम	रिहा		About two years four months
ए–3	किसन मुण्डा उर्फ कृष्णा,	18-09-23	--------	*धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि,* 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम			About two years four months
ए–4	मंगरा पाहन, उर्फ पाका	10.09.23	30.04.24	*धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि,* 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम			About eight months

<u>अनुलग्नक – III</u>

<u>गवाहों की सूची : अभियोजन/बचाव/न्यायालय</u>

क . <u>अभियोजन साक्षी</u>

क्रम स.	नाम	गवाहों के प्रकार (प्रत्यक्ष दर्शी, पुलिस, डाक्टर, पंच, अन्य)
Pw1	गेंदा मुण्डा	पक्षद्रोही
Pw2	सुनील मुण्डा	सूचक
Pw 3	सुमित्रा कुमारी	सूचक का पत्नी
Pw4	विक्टर मुण्डू	जप्तीसूची एवं गिरफतारी ज्ञपांन के साक्षी
Pw5	बगान उरांव	जप्तीसूची के साक्षी
Pw6	लोदरो मुण्डा	पक्षद्रोही साक्षी
Pw7	महेश मुण्डा	मृतक का बेटा

Pw8	डा0 अंसेलम लकड़ा	चिकित्सक साक्षी
Pw9	रोशन मरांडी	परिचारी प्रवर, खूंटी
Pw 10	चन्द्रशेखर पिगुवा	अनुसंधान–कर्त्ता
Pw11	वीरसिंह मुण्डा	पक्षद्रोही साक्षी
Pw12	गांगी मुण्डाईन	मृतक की पत्नी
Pw13	मणी दीप	औपचारिक साक्षी

ख . <u>बचाव पक्ष के साक्षी, अगर हो तो</u>

क्रम स.	**नाम**	**गवाहों के प्रकार (प्रत्यक्ष दर्शी, पुलिस, डाक्टर, पंच, अन्य)**
DW 1	कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया गया है	
DW 2		

ग . <u>न्यायालय के साक्षी, अगर हो तो</u>

कम सं0	नाम	ग्वाहों के प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डाक्टर, पंच एवं अन्य)
CW 1	Not examined	
CW 2		

<u>प्रदर्शों की सूची : अभियोजन/बचाव/न्यायालय</u>

क . <u>अभियोजन</u>

कम सं0	प्रदर्श	विवरणी
1.	अभियोजन–प्रदर्श–1/अ0सा0सं0 2	फर्दबयान पर हस्ताक्षर
2	अभियोजन–प्रदर्श–2/अ0सा0सं0 3	जप्तीसूची पर हस्ताक्षर
3.	अभियोजन–प्रदर्श–3 एवं 4/अ0सा0सं0 4	ज्पतीसूची एवं किसन मुण्डा के गिरफतारी ज्ञपांन पर हस्ताक्षर
4.	अभियोजन–प्रदर्श–4/1 एवं 5/अ0सा0सं0 5	दोनों जप्तीसूची पर हस्ताक्षर
5	अभियोजन–प्रदर्श–6/अ0सा0सं0 8	अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन
6	अभियोजन–प्रदर्श–7/अ0सा0सं0 9	शस्त्र जांच प्रतिवेदन
7	अभियोजन–प्रदर्श–1/1 एवं 1/2/अ0सा0सं0 10	फर्दबयान एवं उसपर पृष्ठांकन
8	अभियोजन–प्रदर्श–8/अ0सा0सं0 10	खून लगा मिट्टी का जप्तीसूची
9	अभियोजन–प्रदर्श–9 एवं 10/अ0सा0सं0 10	अभियुक्त सुखराम मुण्डा के पास से बरामद मोबाईल का जप्तीसूची एवं अभियुक्त सुखराम

		मुण्डा का गिरफतारी ज्ञपांन
10	अभियोजन–प्रदर्श–11 एवं 12/अ0सा0सं0 10	अभियुक्त मंगरा हास्सा के पास से बरामद मोबाईल का जप्तीसूची एवं अभियुक्त सुखराम मुण्डा का गिरफतारी ज्ञपांन
11	अभियोजन–प्रदर्श–13 एवं 14/अ0सा0सं0 10	अभियुक्त मंगरा पाहन के पास से बरामद मोबाईल का जप्तीसूची एवं अभियुक्त सुखराम मुण्डा का गिरफतारी ज्ञपांन
12	अभियोजन–प्रदर्श–15/अ0सा0सं0 10	बरामद टांगी का जप्तीसूची
13	अभियोजन–प्रदर्श–4/2/अ0सा0सं0 10	बरामद मोटर साईकिल का जप्तीसूची
14	अभियोजन–प्रदर्श–5/1/अ0सा0सं0 10	बरामद पिस्तौल एवं गोली का जप्तीसूची
15	अभियोजन–प्रदर्श–16/अ0सा0सं0 10	अभियुक्त किसन उर्फ कृष्णा मुण्डू का गिरफतारी ज्ञपांन
16	अभियोजन–प्रदर्श–17/अ0सा0सं0 10	औपचारिक प्राथमिकी
17	अभियोजन–प्रदर्श–18/अ0सा0सं0 10	अभियुक्त किसन उर्फ कृष्णा मुण्डू का दोष स्वीकारोक्ति बयान
18	अभियोजन–प्रदर्श–19/अ0सा0सं0 10	अभियोजन स्वीकृत्यादेश
19	अभियोजन–प्रदर्श–20/अ0सा0सं0 10	अभियुक्त मंगरा हास्सा का दोष स्वीकारोक्ति बयान
20	अभियोजन–प्रदर्श–21/अ0सा0सं0 10	एफ0एस0एल0 जांच प्रतिवेदन
21	अभियोजन–प्रदर्श–22 एवं 23/अ0सा0सं0 13	अग्रसारण प्रतिवेदन एवं चालान
22	अभियोजन–प्रदर्श–24/अ0सा0सं0 13	थाना मालखाना पंजी

ख . <u>बचाव</u>

कम सं0	प्रदर्श	विवरणी
1.	बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है	

ग . <u>न्यायालय</u>

कम सं0	प्रदर्श	विवरणी
1.	प्रदर्श C-1/CW 1	Not exhibited
2.	प्रदर्श C-2/CW 2	

घ . <u>वस्तु प्रदर्श</u>

कम सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1.	ME-1	एक देशी कट्टा एवं गोली
2	ME-II to ME-V	चार मोबाईल

3	ME-VI	कारतूस का अग्र भाग
4	ME-VII	दो जिन्दा गोली

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कारित आरोप हेतु विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक सूचक सुनील मुण्डा के द्वारा दिनांक 07.09.23 को सदर अस्पताल, खूंटी में इस आशय का फर्दबयान अंकित कराया गया कि दिनांक 06.09.23 को समय करीब 22:00 बजे येलोग सभी परिवार वाले खाना–पीना खाकर ये अपनी पत्नी के साथ अपना कमरा में तथा इनकी मां गांगी मुण्डाईन अपनी कमरा में सो गये । तभी कुछ देर बाद इन्हें अचानक इनके कमरे के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दिया तो ये तुरंत आवाज सुनकर कमरे के बाहर निकला तो देखा कि इनके पिता नारायण सिंह मुण्डा जमीन में गिरा हुआ है तब ये आवाज लगाया कौन है, इतने में इनके ही गांव के रहने वाले राय हस्सा, पिता–मंगा हास्सा के द्वारा इनके लाठी से पीठ पर जोर से बार किया तब ये बचाओ–बचाओ का आवाज लगाकर चिल्लाने लगा तो इसने देखा कि राय हस्सा उसके साथ अन्य तीन व्यक्ति भागने लगे जिसे नहीं पहचान पाये । इसके बाद जब ये इस संबंध में अपनी मां के साथ जमीन पर पड़ें पिताजी को सामने से जाकर देखा तो पाया कि इनके पिताजी खून से लतपथ एवं मृत अवस्था में है तथा गर्दन के दाहिने साईड कनपट्टी के नीचे गहरा कटा हुआ जख्म है । आनन–फानन में येलोग तुरंत अपने पिताजी को सदर अस्पताल, खूंटी ईलाज कराने हेतु लाये तो वहां डाक्टर ने कहा है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । इस सन्दर्भ में सूचक का आरोप है कि राय हास्सा के परिवार वालों के साथ इनलोगों का कुछ पुराना विवाद को लेकर झगड़ा–झंझट होते रहता था, जिस कारण वह जलन में आकर जान मारने की धमकी देता रहता था एवं वह अवैध हथियार भी छिपाकर रखता था लेकिन येलोग डर से किसी को कुछ नहीं बताये थे ।सूचक का दावा है कि राय हस्सा अपने अन्य तीन सहयोगियों के साथ मिलकर इनके पिता की हत्या कर दिये हैं ।

3. सूचिका के उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर खूंटी थाना कांड सं0 126/2023, दिनांक 07.09.23, भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302/34 के तहत अभियुक्त राय हास्सा एवं तीन अज्ञात अपराधकर्मी, के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया तथा अनुसंधान का भार अ0नि0 चन्द्रशेखर पिगुंवा को गया जो अनुसंधान के उपरांत अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए– 4के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii) 27 शस्त्र अधिनियम

तहत आरोप–पत्र सं0 236 / 2023, दिनांक 05.12.23 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी के न्यायालय में समर्पित किये, जिनके द्वारा उक्त धाराओं में वाद का संज्ञान लेते हुए दिनांक 18.12.23 के आदेशानुसार वाद का दौरा सुपुर्द किया गया ।

4. इस काण्ड में अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 के विरुद्ध दिनांक 30.01.24 को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर उपरोक्त सभी अभियुक्तगण, को सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनने के उपरांत अभियुक्तगण के द्वारा सभी आरोपों से इनकार किये एवं वाद विचारण की मांग की गयी। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया ।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में सूचक साहित कुल तेरह साक्षीं का साक्ष्य कराया गया है जिसका वर्णन अनुलग्नक– ।।। में किया गया है । अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ–साथ वस्तु प्रदर्श भी प्रस्तुत किया गया है जिसका वर्णन भी अनुलग्नक– ।।। में किया गया है । अभियुक्त की ओर से न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है जिसका वर्णन अनुलग्नक–।।। में किया गया है ।

7. अभियोजन साक्ष्य दिनांक 07.10.25 को बंद कर अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 का बयान दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत दिनांक 18.10.25 को अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 ने स्वयं को निर्दोष बताये ।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रशन यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल हुए है अथवा नहीं ?

साक्ष्य

9. इस वाद में अभियुक्त अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप कारित किये जाने हेतु विचारण किया जा रहा है जिसके समर्थन में अभियोजन पक्ष के द्वारा सूचक साहित कुल तेरह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसके साक्ष्य का सर्वप्रथम वर्णन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

10. अभियोजन साक्षी सं0 1 गेंदा मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना 2023 की सितम्बर माह की है । उस दिन इनके गांव के नारायण सिंह मुण्डा को उसके

घर पर ही गोली मार दी गयी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी । नारायण सिंह मुण्डा को किसने और क्यों गोली मारी, इसकी जानकारी नहीं है । घटना तिथि को ये खूंटी आया था और ये दिन के बारह बजे करीब गांव लौटा था । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इन्हें आजतक पता नहीं चला कि नारायण सिंह मुण्डा की हत्या क्यों और किस कारण की गयी ।

11. अभियोजन साक्षी सं0 2 सुनील मुण्डा जो इस वाद के सूचक है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 06.09.23 की है । उक्त तिथि को इनके पिताजी नारायण सिंह मुण्डा का हत्या उनके घर में कर दी गयी थी । इनके पिता की हत्या इनके गांव का रहने वाला राय हास्सा के द्वारा रात्रि करीब नौ बजे गोली मारकर किया गया था । उस समय ये भी घर पर ही था । इसने देखा कि राय हास्सा एवं टिलू नाग इनके घ्पर पर आये थे और उन्हीं के द्वारा इनके पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया । उसके बाद येलोग पिताजी को अस्पताल ले गये, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । साक्षी ने आगे कहा है कि परिवारिक विवाद के कारण राय हास्सा और टिलू नाग ने इनके पिता की हत्या किया था । साक्षी ने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 1/अ0स0सं02 अंकित किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सुखराम मुण्डा, मंगरा पाहन उर्फ पाका, किशन मुण्डू उर्फ कृष्णा मुण्डू को ये जानता–पहचानता नहीं है । इनके पिता की हत्या में इन अभियुक्तों का कोई हाथ नहीं है । घटना अंधेरी रात की है । साक्षी ने आगे कहा है कि इनके मां के कमरे में ही इनके पिताजी का शव पड़ा हुआ था । घटना लगभग 8:00–8:30 बजे की है । जिस कमरा में ये सोया हुआ था, वहां कोई घटना नहीं घटी थी, बल्कि इनके मां के कमरे में घटना घटी थी । मां से बातचीत किये थे, उसके बाद केस किये थे

12. अभियोजन साक्षी सं0 3 सुमित्रा कुमारी ने अपने साक्ष्य में कही है कि घ टना दिनांक 06.09.23 की है । उक्त तिथि को इनके ससुर नारायण सिंह मुण्डा की हत्या घर में कर दी गयी थी । उक्त तिथि को ये घर पर ही थी, उसी समय गोली की आवाज सुनाई दी, तो येलोग भागकर बाहर निकले तो देखे कि इनके ससुर अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और खून से लतपथ थे । इनके ससुर की हत्या इनके ही गांव के रहने वाले राय हस्सा और टिलू नाग के द्वारा रात्रि नौ बजे गोली मारकर कर दिया गया था । उसके बाद येलोग ससुर को अस्पताल ले गये, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । साक्षी ने आगे कहा है कि परिवारिक विवाद के कारण राय हास्सा और टिलू नाग ने इनके ससुर की हत्या किया था । साक्षी ने जप्तीसूची पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 2/अ0स0सं03 अंकित किया गया है । साक्षी ने अभियुक्त राय हस्सा उर्फ मंगरा हस्सा एवं टिलू नाग का न्यायालय में विडियो कान्फ्रेसिंग से उपस्थित का पहचान करती है और कहती है कि अन्य अभियुक्त टिलू नाग, राय हस्सा और सुखराम

मुण्डा, कृष्णा मुण्डू का नाम इनकी सास के द्वारा बताया गया था । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कही है कि ये सुखराम मुण्डा और कृष्णा मुण्डू का नाम इनकी सास के बताये अनुसार बता रही है और ये अपने ससुर की हत्या करते नहीं देखी थी । साक्षी ने आगे कही है कि ये एक सादा कागज पर पुलिस के कहने पर अपना हस्ताक्षर बनायी थी और दूसरे कागज पर थाना में हस्ताक्षर बनायी थी । दोनों कागज पर ये हस्ताक्षर घटना के दो दिन बाद बनायी थी । अभियुक्त राय हस्सा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कही है कि इनके ससुर की हत्या के समय अंधेरा था, रोशनी नहीं थी । गांगी से येलोग पूछताछ किये थे, उसके बाद केस किये थे ।

13. अभियोजन साक्षी सं0 4 विक्टर मुण्डू ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना करीब साल भर पहले की है । किसन मुण्डू उर्फ कृष्णा मुण्डू के साथ रांची से खूंटी आ रहा था तो उसी दौरान विरसा मृग विहार रांची–खूंटी मुख्य सड़क के पास पुलिस इन दोनों को रोका था और तलाशी लिया था । तलाशी के क्रम में किसन मुण्डू के पास से उसका मोबाईल जप्त किया गया था और जिस मोटर साईकिल से यलोग आ रहे थे, उस मोटर साईकिल को भी जप्त किया गया था, उस मोटर साईकिल का नम्बर याद नहीं है । साक्षी ने जप्तीसूची एवं अभियुक्त किसन मुण्डू के गिरफतारी ज्ञपांन पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है जिसे क्रमशः प्रदर्श 3 एवं 4/अ0स0सं04 अंकित किया गया है । साक्षी ने किसन मुण्डू का पहचान किया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

14. अभियोजन साक्षी सं0 5 बगान उरांव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 07.09.23 की है । उक्त तिथि को ये खूंटी थाना में हवलदार के पद पर पदस्थापित था तो उक्त तिथि को थाना प्रभारी, ये स्वयं एवं सशस्त्र बल के साथ ग्रम सारिदकेल गये थे, जहां सूचक सुनील मुण्डा के द्वारा बताया गया कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर लाईट पकड़कर आंगन में निकला तो देखा कि उसका पिताजी आंगन में गिरा पड़ा है । येलोग उसे तत्काल अस्पताल लाये जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । दिनांक 17.09.23 को विरसा मृग विहार के पास रांची–खूंटी मुख्य सड़क कालामाटी के पास अभियुक्त किसन मुण्डू को पकड़ा गया था और उसके पास से मोटर साईकिल एवं मोबईल बरामद हुआ था जिसका जप्तीसूची बना था, जिसपर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 4/1/ /अ0स0सं05 अंकित किया गया है । फिर उसी दिन समय करीब 10:30 बजे अभियुक्त के बताये अनुसार घाघरा गांव से करीब 500 मीटर पहले पुल के पास से झाड़ी में से हथियार बरामद हुआ था जिसका जप्तीसूची बना था, जिसपर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 5/अ0स0सं05 अंकित किया गया है । साक्षी ने अभियुक्त किसन मुण्डू के गिरफतारी ज्ञपांन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श 6/अ0स0सं05 अंकित किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सुनील मुण्डा के पिता की हत्या

किन लोगों के द्वारा की गयी थी, इस विषय में सुनील मुण्डा ने इन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी । इस केस के संबंध में इन्हें कोई जानकारी नहीं है ।

15. अभियोजन साक्षी सं0 6 लोदरा मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना वर्ष 2023 की सितम्बर महीना के रात्रि की है । घटना के समय ये अपने घर में सोया हुआ था उसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनायी दिया और ये जाग गया और नारायण सिंह मुण्डा के घर के पास गया तो देखा कि नारायण सिंह मुण्डा खून से लतपथ जमीन पर जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ था एवं वहां उसकी पत्नी, बेटा और बहु खड़े थे, जो उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे । गाड़ी आने के बाद नारायण सिंह मुण्डा को ये और उसका बेटा, पत्नी एवं बहु के साथ अस्पताल ले गये जहां डाक्टर से उसे जांच के पश्चात मृत घोषित कर दिया गया । साक्षी ने आगे कहा है कि नारायण सिंह मुण्डा की हत्या राय हास्सा, सुखराम मुण्डा, टिलू नाग एवं कृष्णा के द्वारा की गयी थी । इनलोगों ने पहले उसे गोली से मारा फिर टांगी से काट दिया । नारायण सिंह मुण्डा की हत्या उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा किस कारण से की गयी थी, इसकी जानकारी इन्हें नहीं है । न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मांगा पाहन को साक्षी नाम से नहीं जानते हैं, परन्तु चेहरा से पहचानते हैं और कहते हैं कि यह अभियुक्त इनके ही गांव का है तथा वी0सी0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त राय हस्सा और सुखराम को सही पहचान किया तथा कृष्णा मुण्डा को साक्षी नहीं पहचानते हैं । अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के पहले मृतक नारायण सिंह मुण्डा एवं अभियुक्त राय हस्सा के साथ झगड़ा और अभियुक्त राय हस्सा द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने के बिन्दु पर पक्षद्रोही घोषित किया गया । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि किस दिन में गोली का आवाज सुना था, नहीं बता सकते । घटना रात की थी । ये किसी को गोली चलाते अपनी आंख से नहीं देखा था । किसी को नारायण सिंह मुण्डा की हत्या करते अपनी आंखों से नहीं देखा था । नारायण सिंह मुण्डा की हत्या कौन, क्यों, किस कारण से किया, इसकी जानकारी इन्हें आजतक नहीं है । अभियुक्तगण इनके गांव एवं पड़ोस के गांव का है, इसलिए उसे पहचानते है। यह केस किसने किया था और क्या लिखते हुए किया था, ये नहीं जानते हैं ।

16. अभियोजन साक्षी सं0 7 महेश मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना वर्ष 2023 के रात्रि की है । घटना की रात्रि ये लोग सभी खाना खाकर घर में सो गये थे, फिर रात्रि दस बजे राय हस्सा उर्फ मंगरा हस्सा, किसन मुण्डू उर्फ कृष्णा, टिलू नाग और सुखरा मुण्डा इनके घर के बाहर आये और फिर टिलू नाग दरवाजा खालने को बोला । जिसके बाद इनके पिताजी नारायण सिंह मुण्डा दरवाजा खोले ही थे, तब कि कृष्णा राज ने इनके पिता को दो गोली मार दिया, जिसके कारण इनके पिताजी गिर गये जिसके बाद राय हस्सा उर्फ मंगरा हस्सा ने अपने हाथ में लिये टांगी से इनके पिता के गर्दन पर मार दिया । जिसके बाद इनकी मां बचाओ–बचाओ चिल्लाने लगी तब इनके भाई सुनील मुण्डा

घर से बाहर निकला तो राय हस्सा ने उसे डंडा से पीठ पर मारा जिसके कारण इनक भाई वहीं गिर गया तब ये भी घर से बाहर निकला तो देखा कि सभी के हाथ में हथियार था, जिस कारण ये डर गया और फिर वेलोग इनके सामाने वहां से भाग गये । भागने के बाद ये गांव का ही सवारी गाड़ी जिसे चाचा चलाते हैं, लाने चला गया और गाड़ी लेकर आने के बाद इनके पिताजी को उठाकर सदर अस्पताल, खूंटी लाये जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । साक्षी ने आगे कहा है कि घटना के एक दिन पहले राय हस्सा का बकरी इनके खेत में घूस गया था, जिसके कारण इनके पिताजी को उससे झगड़ा हुआ था और उस झगड़ा से राय हस्सा ने इनके पिताजी को जान से मार देने की बात कही थी । साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त मंगरा पाहन का पहचान करते हैं । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सुखराम मुण्डा से इनलोगों का कोई दुश्मनी नहीं है । यह केस इनके भाई ने कुल पांच नामित व्यक्तियों के विरुद्ध किया था , उस समय ये भी वहां उपस्थित थे, जिसपर इसने गवाह के रुप में हस्ताक्षर किया था और इनके चाचा अंगूठा लगाया था । ये पहली बार घटना के बारे में बता रहे हैं ।

17. अभियोजन साक्षी सं0 8 जो चिकित्सक साक्षी है, जिन्होंने मृतक के शव का अन्त्यपरीक्षण किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कही है कि दिनांक 07.09.23 को ये सदर अस्पताल, खूंटी में चिकित्सा पदाधिकारी के रुप में पदस्थापित थी और उक्त तिथि को ये मृतक के शव का अन्त्यपरीक्षण किये थे और निम्नलिखित तथ्य पाये थे :–

(I) All injuries present over the deceased body are antemortem in natue

(ii) A sharp; cut injury with irregular margin was present extending from below right ear lobe to below the angle of the mandible on the right side measuring 3” x 3” x 1” upto the certical bone.

(iii) 1cm oval shape open injury, redish black in colour surrounding, around the oval shape opening. It was situated 4” below the left nipple.

(iv) 3cm oval shape open injury. Redish colour surrounding around the oval shape opening. It was situated 4” above the left pelvis over the left flank.

(v) 1cm oval shape open injury. Redish black colour surrounding around the oval shape opening. It was situated 4” below the spleen in the left hypochondriac region.

(vi) 3cm oval shape open injury, Radish in colour situated 2” left of 2nd lumbar vertebra.

Heart damage, lungs-left collaapsed, right lung congested, spleen-damage, liver congested, small and large intestine multiple perforation seen.

Cause of death -Bullet injury because of entry and exit wound and also with sharp instrument.

He has identified examination report under her pen and signature which has been marked as Ext-6.

In her cross-examination he has stated that he cannot say exact time of death and he cannot say exact weapon caused death to deceased. He did not find any blood stained mark over the wearing cloths of the deceased.

18. अभियोजन साक्षी सं0 9 रोशन मरांडी, प्रचारी प्रवर है, जिन्होंने इस कांड में जप्त प्रदर्श का जांच किये हैं । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 23.09.23 को ये परिचारी प्रवर के पद पर पदस्थापित थे तो उक्त तिथि को इस कांड में जप्त एक देशी कट्टा नौ एम0एम0, एक देशी पिस्तौल, मैगजीन के साथ तीन कारतुस का जांच किया और पाया कि देशी निर्मित पिस्टल की पिन फायरिंग, हैमर, ट्रिगर सही ढंग से कार्य कर रहा है । जब देशी निर्मित पिस्टल को खाली हालत में कॉक करके फायर किया गया था तो उक्त देशी कट्टा से फायर हुआ था । साक्षी ने जप्त नौ एम0एम0 पिस्तौल को भी कारगर एवं जानमाल की क्षति होने की बात कहा है । साक्षी ने अपने जांच प्रतिवेदन को प्रदर्श 7/अ0स0सं09 अंकित किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इनके पास जो वस्तु प्रदर्श जांच के लिए भेजा गया था, उसे पूर्व में फायर नहीं किया गया था । इनके द्वारा खाली पिस्टल को जांच कर फायर किया गया था । प्रदर्श की जांच पर वहां पर इस कांड के अनुसंधान–कर्त्ता भी मौजूद थे ।

19. अभियोजन साक्षी सं0 10 चन्द्रशेखर पिंगुआ ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 07.09.23 को ये खूंटी थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था तो उक्त तिथि को समय 2:10 बजे इनके द्वारा सुनील मुण्डा का फर्दबयान सदर अस्पताल, खूंटी में दर्ज किया गया जिसके आधार पर थाना प्रभारी श्री पिंकू कुमार यादव के द्वारा खूंटी थाना कांड सं0 126/23, दिनांक 07.09.23 दर्ज कर कांड के अनुसंधान का भार इन्हें सौंपा गया । साक्षी ने फर्दबयान को अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर तथा उसपर पृष्ठांकन तत्कालिन थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव के लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे कमशः प्रदर्श 1/1/अ0स0सं010 एवं प्रदर्श 1/2/अ0स0सं010 अंकित

किया गया है । तत्पश्चात वादी का पुनः बयान एवं साक्षी गांगी मुण्डाईन का बयान दर्ज किया जिन्होंने प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किये । इस साक्षी ने कंडिका 5 के अपने साक्ष्य में घटनास्थल का पूर्ण विवरण दिये हैं और घटनास्थल से मृतक का खून लगा मिट्‌टी, फायर किया हुआ बुलेट एवं दो खाखा बरामद किया गया जिसकी विधिवत् जप्तीसूची को साक्षी ने अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 8/अ0स0सं010 अंकित किया गया है । तत्पश्चात घटनास्थल पर ही साक्षी समित्रा गेंदा मुण्डा, लोदरो मुण्डा का बयान लिया, जिन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किये । दिनांक 09.09.23 को खूंटी–तमाड़ रोड नदीदीपा के पास से अप्राथमिकी अभियुक्त सुखराम मुण्डा को गिरफतार किया जिसकी तलाशी लने पर उसके कमर से एक देशी कट्‌टा, एक जिन्दा गोली एवं एक मोबाईल जप्त किया गया जिसकी विधिवत् जप्तीसूची एवं गिरफतारी ज्ञपांन को साक्षी ने अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे क्रमशः प्रदर्श 9/अ0स0सं010 एवं प्रदर्श 10/अ0स0सं010 अंकित किया गया है । साक्षी ने आगे कहा है कि दिनांक 12.09.23 को अभियुक्त मंगरा हस्सा उर्फ राय हस्सा को गिरफतार किया जिसके पास से एक मोबाईल जप्त किया गया जिसकी विधिवत् जप्तीसूची एवं उसका गिरफतारी ज्ञपांन को अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे क्रमशः 11/अ0स0सं010 एवं प्रदर्श 12/अ0स0सं010 अंकित किया गया है । साक्षी ने आगे कहा है कि दिनांक 13.09.23 को अभियुक्त मंगरा पाहन उर्फ पक्का को गिरफतार किया जिसके पास से एक मोबाईल बरामद हुआ जिसकी जप्तीसूची एवं उसके गिरफतारी ज्ञपांन को साक्षी ने अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे क्रमशः प्रदर्श 13/अ0स0सं010 एवं प्रदर्श 14/अ0स0सं010 अंकित किया गया है । साक्षी ने आगे कहा है कि अभियुक्त मंगरा हस्सा के निशानदेही पर नदीदिपा के पास से झाड़ी में से इस कांड में प्रयुक्त टांगी बरामद किया गया जिसकी जप्तीसूची को साक्षी ने अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 15/अ0स0सं010 अंकित किया गया है । साक्षी ने मोटर साईकिल सं0 के0ए0–51पी.एन0–5597 के जप्तीसूची को प्रदर्श 4/2 अंकित किया गया है । अभियुक्त किशन मुण्डा के दोष स्वीकारोक्ति बयान को साक्षी ने अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 5/1 एवं उसके गिरफतारी ज्ञपांक को प्रदर्श 16/अ0सा0सं0 10 अंकित किया गया है । दिनांक 23.09.23 को कांड में जप्त प्रदर्श एक देशी कट्‌टा, एक गोली तथा एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित दो गोली को परिचारी प्रवर से जांच कराने हेतु जमा किया और दिनांक 06.10.23 को खून लगा मिट्‌टी कों जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रांची भेजा । दिनांक 05.11.23 को इस कांड में जप्त मोटर साईकिल के मालिक का सत्यापन प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित किया । दिनांक 07.11.23 को साक्षी महेश मुण्डा और वीर सिंह मुण्डा का बयान दर्ज किया जिन्होंने प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किया । दिनांक 16.11.23 को मृतक का अन्त्यपरीक्षण

प्रतिवेदन सदर अस्पताल, खूंटी से प्राप्त किया और अनुंसंधान पूर्ण हो जाने के कारण अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त मंगरा हस्सा उर्फ राय हस्सा, सुखराम मुण्डा, मंगरा पाहन एवं किशन मुण्डू के विरुद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया । साक्षी ने औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श 17/अ0स0सं0 10 अंकित किया गया है । अभियुक्त किशन मुण्डू के दोष स्वीकारोक्ति बयान को अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 18/अ0स0सं0 10 और अभियोजन स्वीकृत्यादेश को प्रदर्श 19/अ0सा0सं0 10 अंकित किया गया है । साक्षी ने अभियुक्त मंगरा हस्सा के दोषी स्वीकारोक्ति बयान को अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 20/अ0सा0सं0 10 तथा एफ0एस0एल0 जांच प्रतिवेदन को प्रदर्श 21/अ0सा0सं0 10 अंकित किया गया है तथा सी0डी0आर0 को पहचान हेतु एक्स मार्क किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि अनुसंधान के कम में इनके द्वारा जितने गवाहों का बयान लिया गया था, किसी ने भी घटना होते अपनी आंखों से देखने की बात नहीं कहा था । अभियुक्तों का दोष स्वीकारोक्ति बयान लेते समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया गया था । साक्षी ने आगे कहा है कि घटना की रात अंधेरी थी । अनुसंधान के कम में इसने सोर्स ऑफ पहचान के किसी प्रकार का वस्तु घटनास्थल से या मृतक के परिवार से जप्त नहीं किया था । इसने किसी भी अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान किसी भी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष नहीं लिया था और न ही किसी स्वतंत्र गवाह को अभियुक्त के निशानदेही सलि से समान बरामद हेतु उन्हें ले गया था । इस कांड में इनके द्वारा अभियुक्तों के पास से जो मोबाईल जप्त किया गया है तथा उक्त कांड में निकलो गये सी0डी0आर0 के आधार पर घटना के समय या उससे एक घंटा पहले या एक घंटा बाद किसी भी मोबाईल का लोकेशन घटनस्थल पर होने की पुष्टि नहीं हुई हैं ।

20. अभियोजन साक्षी सं0 11 विरसिंह मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना एक साल पहले की है । घटना के दिन नारायण सिंह मुण्डा को गोली मारा गया था जो खुदिया मुण्डा का बेटा एवं सारिदकेल का रहने वाला था । नारायण सिंह मुण्डा को कौन मारा, ये नहीं जानते हैं । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इन्हें आजतक पता नहीं चला कि नारायण सिंह मुण्डा की हत्या किसने, क्यों की थी ।

21. अभियोजन साक्षी सं0 12 गांगी मुण्डाईन जो मृतक नारायण सिंह मुण्डा की पत्नी है, ने अपने साक्ष्य में कही है कि घटना दो साल पहले की है । घटना के समय ये अपने पति नारायण सिंह मुण्डा के साथ घर पर थी और इनका बेटा सुनील मुण्डा अपनी पत्नी के साथ इनके सामने घर के दूसरे कमरे में रह रहे थे । रात के करीब नौ बज रहा था, उसी समय सुखराम मुण्डा, टली के साथ आया और बाहर से यचह लोग

दरवाजा खोलने के लिए बोला । इनके पति जब दरवाजा खोले तभी कृष्णा ने इनके पति पर पिस्तौल से दो गोली चलाया जो उनके सिने में लगा, जिससे इनका पति वहीं गिर गये तथा तोनो से इनके पति के गर्दन पर मारा जिससे गर्दन कट गया । गोली की आवाज सुनकर इनका दोनों बेटा बाहर निकला तब हल्ला सुनकर वेलोग भाग गये । ये उनलोगों को अपने पति को मारते हुए सामने से देख रही थी, इका पति जमीन पर खून से लथपथ गिरे पड़े थे, तब अगल–बगल के लोग तथा इनकी बेटी ने इनके पति को सदर अस्पताल, खूंटी ले गये जहां डाक्टर से उन्हें मृत घोषित कर दिया । साक्षी ने राय, कृष्णा, टुली और सुखराम को वी0सी0 के माध्यम से साक्षी सही पहचान करती है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कही है कि घटना के समय अंधेरी रात थी, हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था । गोली का आवाज सुनकर अगल–बगल के कुछ लोग आये थे, जिनसे इनका कोई दुश्मनी नहीं है । घटना तिथि को ये किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं की थी । इनका बेटा किसके–किसके उपर केस किया है, ये नहीं बता सकती है । साक्षी ने आगे कही है कि जब ये गोली का आवाज सुनकर रात में घर से बाहर निकली तो जमीन पर खून से लथपथ इनके पति को गिरे हुए थे और वहां पर कोई नहीं था, सभी लोग भाग चुके थे, अंधेरी रात होने के कारण ये हत्या होते नहीं देख पायी थी फिर जब ये आवाज दी तो इनके बेटा, बहु और अन्य लोग आये ।

22. अभियोजन साक्षी सं0 13 एक औपचारिक साक्षी है, जिन्होंने इस कांड में जप्त प्रदर्श, मालखाना पंजी, मालखाना चालान, अग्रसारण प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये हैं । साक्षी ने अग्रसारण प्रतिवेदन इनके द्वारा टंकित किया गया है जिसपर थाना प्रभारी खूंटी मोहन कुमार का हस्ताक्षर एवं थाना का मुहर है, जिसे प्रदर्श 22/अ0सा0सं013 अंकित किया गया है । साथ ही साक्षी ने चालान को प्रदर्श 23/अ0सा0सं013 अंकित किया गया है । साक्षी ने कहा है कि मालखाना रजिस्टर के कवर के उपर में एक सफेद कागज चिपका हुआ है, जिसमें फार्म नं0 18, झारखण्ड पुलिस थाना मालखाना पंजी 02139, बुक सं0 VIII, सिरियल नम्बर 021380 से 0213980 खूंटी थाना अंकित है । कांड का जप्त प्रदर्श मालखाना पंजी के पृष्ठ सं0 0213832 से 0213836 में अंकित है, जिसके कॉलम नं0 1 में एम0आर0 4/23, 65/23, 66/23, 67/23, 68/23 लिखा हुआ है, कॉलम 2 में खूंटी थाना कांड सं0 126/23, दिनांक 07.09.23, धारा 302/323/34 भादवि अंकित है, कॉलम नं0 3 में जप्त प्रदर्श का विवरण अंकित है, कॉलम नं0 4 खली, कॉलम नं0 5 पु0अ0नि0 चन्द्रशेखर पिंगुआ अंकित है, कॉलम नं0 6 में एस0डी0ई0 सं0 17/23, दिनांक 07.09.23, एस0डी0ई0 सं0 33/23, दिनांक 07.09.23, एस0डी0ई0 सं0 4/23, दिनांक 07.09.23, एस0डी0ई0 सं0 13/23, दिनांक 07.09.23, एस0डी0ई0 सं0 28/23, दिनांक 07.09.23 अंकित है । कॉलम सं0 7 और 8 खाली है । साक्षी के पहचान के उपरांत मालखाना पंजी को प्रदर्श 24/अ0सा0सं013 अंकित किया गया है । साक्षी ने आगे कहा है कि जप्त प्रदर्श एक मारकिन कपड़ा में सीलबंद है, जिसके उपर ब्लू स्याही से खूंटी

थाना कांड सं0 126/23, दिनांक 07.09.23, घारा 302/323/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट अंकित है तथा लाल स्याही से एम0आर0 सं0 65/23 अंकित है तथा एक सफेद कागज चिपका हुआ है, जिसमें खूंटी थाना कांड सं0 126/23, दिनांक 07.09.23, धारा 302/323/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, अनुसंाान–कर्त्ता चन्द्रशेखर पिंगुआ का हस्ताक्षर है, जिसे खोलने पर लोहे का बना एक देशी कट्टा एवं एक गोली है जिसे वस्तु प्रदर्श–I अंकित किया गया है । उसी प्रकार साक्षी ने चार मोबाईल को न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसे वस्तु प्रदर्श–II, III एवं V अंकित कराया है । साक्षी ने एक कारतूस के अग्र भाग को वस्तु प्रदर्श VI तथा एक जिन्दा गोली को वस्तु प्रदर्श VII अंकित कराया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इन्हें इस केस के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ।

निष्कर्ष

23. इस वाद में अभियुक्त अभियुक्त ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए)/35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप कारित किये जाने हेतु विचारण किया जा रहा है जिसके समर्थन में अभियोजन पक्ष के द्वारा सूचक साहित कुल तेरह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसके साक्ष्य का सर्वप्रथम वर्णन पूर्व के पाराग्रफ में किया जा चुका है । अब अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य का सुक्ष्म विश्लेषण करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी सं0 1, अभियोजन साक्षी सं0 11 को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अभियोजन साक्षी सं0 2 जो इस वाद के सूचक है, ने अभियुक्त सुखराम मुण्डा, मंगरा पाहन उर्फ पाका, किशन मुण्डू उर्फ कृष्णा मुण्डू की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 एवं 9 में स्पष्ट तौर से कहा है कि सुखराम मुण्डा, मंगरा पाहन उर्फ पाका, किशन मुण्डू उर्फ कृष्णा मुण्डू को ये जानता–पहचानता नहीं है और इनके पिताजी की हत्या में इन अभियुक्तों का कोई हाथ नहीं है । अभियुक्त राय हस्सा उर्फ मंगरा हस्सा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के कंडिका 22 में साक्षी ने कहा है कि इनके मां के कमरा में ही इनके पिताजी का शव पड़ा हुआ था । कंडिका 25 में कहा है कि ये जिस कमरा में सोया था, उसमें कोई घटना नहीं घटी थी, बल्कि इनकी मां के कमरे में घटना घटी थी । इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के समय यह साक्षी दूसरे कमरे में सोया हुआ था और ये साक्षी घ टना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है । अभियोजन साक्षी सं0 3 जो अभियोजन साक्षी सं0 2 का पत्नी है ने भी अपने साक्ष्य के कंडिका 11 में स्पष्ट तौर से कहा है कि सुखराम मुण्डा और कृष्णा मुण्डू का नाम इनकी सास के बताये अनुसार बतायी थी और ये उन्हें अपनी ससुर की हत्या करते हुए नहीं देखी थी । कंडिका 17 में स्पष्ट तौर से कही है कि इनकी ससुर की हत्या के समय अंधेरा था, रोशनी नहीं थी । इस साक्षी ने कंडिका 30 एवं 31 में कही

है कि गांगी से येालेग पूछताछ किये थे, उसके बाद इनके पति केस किया था और घटना अंधरी रात की है । साक्षी ने आगे कही है कि कितने व्यक्तियों के विरुद्ध केस किया गया था, ये नहीं बता सकती है । इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि इस साक्षी को घटना के बारे में इनके सास के द्वारा बताया गया था और यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है । अभियोजन साक्षी सं0 4 मात्र मोटरसाईकिल बरामदगी के जप्तीसूची का साक्षी है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 7 में स्पष्ट तौर से कहा है कि इस केस के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है । अभियोजन साक्षी सं0 5 एक पुलिस साक्षी है, जिन्होंने मात्र जप्तसूची पर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में स्पष्ट तौर से कहा है कि सुनील मुण्डा के पिता की हत्या किन लोगों के द्वारा की गयी थी, इस विषय में सुनील मुण्डा ने इन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी । कंडिका 19 एवं 13 में कहा है कि इस केस के संबंध में इन्हें कोई जानकारी नहीं है और इस केस में इनका कोई बयान नहीं हुआ था । अभियोजन साक्षी सं0 5 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि गोली चलने की आवाज सुनकर ये नारायण सिंह मुण्डा के घर की तरफर गये तो देखा कि नारायण सिंह मुण्डा खून से लतपथ जमीन पर गिरा हुआ है और उसके बेटा, बहु एवं पत्नी वहीं पर थे । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के कंडिका 12 एवं 15 में स्पष्ट तौर से कहा है कि घटना रात की थी और किसी को नारायण सिंह मुण्डा का हत्या करते ये अपनी आंखों से नहीं देखा था । कंडिका 20 में कहा है कि नारायण सिंह मुण्डा की हत्या कौन, क्यों, किस कारण से किया, इसकी जानकारी इन्हें आजतक नहीं है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 23 में कहा है कि सुखराम मुण्डा से इनलोगों का कोई दुश्मनी नहीं है । कंडिका 43 में कहा है कि ये आज पहली बार घटना के बारे में बता रहे हैं । अभियोजन साक्षी सं0 8 एक औपचारिक साक्षी जिन्होंने मृतक के शव का अन्त्यपरीक्षण किये हैं और उसके मृत्यु के कारणों का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी सं0 9 भी एक औपचारिक साक्षी है, जिन्होंनें इस कांड में जप्त प्रदर्श का जांच कर अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है । अभियोजन साक्षी सं0 10 इस वाद के अनुसंधान–कर्त्ता है, जिन्हों गवाहों का बयान एवं घटनास्थल का निरीक्षण तथा अनुसंधान के उपरांत घटना को सत्य पाते हुए आरोप–पत्र समर्पित किया है । इस साक्षी के साक्ष्य का उपयोग वाद की संपुष्टि हेतु किया जाता है । अभियोजन साक्षी सं0 12 गांगी मुण्डाईन जो मृतक का पत्नी है और अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के समय ये मृतक के साथ एक कमरे में सोई हुई थी, ऐसी स्थिति में इस साक्षी के साक्ष्य का काफी महत्वपूर्ण है । इस साक्षी के साक्ष्य का सुक्ष्म विश्लेषण करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने कंडिका 7 में कही है कि घटना के समय अंधरी रात थी, हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था । गोली का आवाज सुनकर अगल–बगल के कुछ लोग आये थे, जिनसे इनका कोई दुश्मनी नहीं है । प्रतिपरीक्षण के कंडिका 12 में स्पष्ट तौर से साक्षी ने कही है कि जब ये गोली की आवाज सुनकर रात में

घर से बाहर निकली तो जमीन पर खून से लथपथ इनका पति जमीन पर गिरा हुआ था और वहां पर कोई नहीं था, सभी लोग भाग चुके थे । रात अंधेरी होने के कारण ये हत्या होते नहीं देख पायी थी, फिर जब ये आवाज दी तो इनका बेटा, बहु और अन्य लोग आये । कंडिका 22 में कही है कि इनका बेटा किसके–किसके उपर केस किया है, ये नहीं बता सकती है । अभियोजन साक्षी सं0 13 एक औपचारिक साक्षी है जिन्होंने न्यायालय के आदेश पर इस कांड में जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत किया है । अभियोजन साक्षी सं0 7 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के एक दिन पहले राय हस्सा का बकरी इनके खेत में घुस गया था, जिसके कारण इनके पिताजी का उससे झगड़ा हुआ था और उस झगड़ा में राय हस्सा ने इनके पिताजी को जान से मार देने की बात कही थी, किन्तु इस साक्षी के इस कथन का समर्थन न तो प्राथमिकी में किया गया है और न ही किसी साक्षी के द्वारा न्यायालय में किये गये परीक्षण में किया गया । इतना ही नहीं अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय में ऐसा न तो कोई साक्ष्य और न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण का पूर्व से मृतक के साथ दुश्मनी थी, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गयी । जहां सूचक ने अपने पिताजी का शव मां के घर में होने की बात कहा है वहीं अन्य साक्षियों ने शव को आंगन में पड़े होने की बात कहा है ।

24. इस बिन्दु पर अभियोजन पक्ष के द्वारा अभिकथन किया गया कि अभियोजन पक्ष के द्वार जिन स्वतंत्र साक्षियों सूचक, सूचक की मां एवं उसके पत्नी का साक्ष्य कराया गया है, उनके साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है । जहां अभियोजन साक्षी सं0 2 ने अपने फर्दबयान में कहा है गोली चलने की आवाज सुनकर जब ये बाहर निकला तो ये अपने पिता को खून से लथपथ देखा और राय हास्सा एवं तीन अन्य व्यक्तियों को वहां से भागते हुए देखा वहीं ये साक्षी अपने साक्ष्य में कहा है कि परिवारिक विवाद के कारण राय हस्सा और टिलू नाग ने इनके पिता की हत्या किया था । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि घटना अंधेरी रात की है । अभियोजन साक्षी सं0 3 जो सूचक की पत्नी है ने अपने साक्ष्य में कही है कि उन्हें घटना के बारे में उनकी सास ने इन्हें बतायी थी जबकि इनकी सास जो अभियोजन साक्षी सं0 12 है, अपने साक्ष्य में कहीं भी नहीं की है कि ये अभियुक्तों की संलिप्ता के सन्दर्भ में ये अपने बहु को बतायी थी । अभियोजन साक्षी सं0 12 जो इस कांड का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है कंडिका 12 में स्पष्ट तौर से साक्षी ने कही है कि जब ये गोली की आवाज सुनकर रात में घर से बाहर निकली तो जमीन पर खून से लथपथ इनका पति जमीन पर गिरा हुआ था और वहां पर कोई नहीं था, सभी लोग भाग चुके थे । रात अंधेरी होने के कारण ये हत्या होते नहीं देख पायी थी, फिर जब ये आवाज दी तो इनका बेटा, बहु और अन्य लोग आये । इस प्रकार इन तीनों साक्षियों के साक्ष्य में ही काफी विरोधाभाष है । साक्षी सं0 12 के स्पष्ट तौर से कहा है कि रात अंधरी थी, हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था । सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता

का यह भी कथन है कि अभियुक्तों का दोष स्वीकारोक्ति बयान किसी भी सक्षम पदाधिकारी या स्वतंत्र साक्षी के समक्ष दर्ज नहीं किया गया और पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया दोष स्वीकारोक्ति बयान और उसके आधार पर बरामद सामान भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है । सफाई पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया गया है जो **2017(1) East Cri.C 319(Pat), Jawahar Yadav Vs State of Bihar, 2009 ACR 748, Mahtab Singh & another Vs. State of U.P(SC), 2009 ACR 754, Cri.A No,79 of 2003 Jayana Vs State of Karnataka,** और अभिकथन किया गया कि जहां पहचान हेतु कोई रोशनी नहीं है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का पहचान संभव नहीं है । अतः अभियुक्तगण इस वाद से उन्मुक्त किये जाने का हकदार है ।

25. अपर लोक अभियोजक के द्वारा अभिकथन किया गया कि अभियोजन पक्ष इस केस को युक्ति–युक्त शंकाओं से परे सिद्ध करने में सफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्या है ।

27. दोनों पक्षों को सुना एवं पुनः अभिलेख तथा अभियोजन पक्ष के द्वारा पस्तुत किये गये साक्षियेां के साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा सफाई पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये तकों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जिन सभी स्वतंत्र साक्षियेां का साक्ष्य कराया गया है, सभी साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि घटना रात अंधरी की है और घटना के समय वहां कोई रोशनी नहीं था । अभियोजन साक्षी सं0 12 ने तो यहां तक कहा है कि रात अंधेरी थी और हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था । इस साक्षी ने तो यह भी कहा है कि जब गोली की आवाज सुनकर ये बाहर आयी तब तक सभी वहां से भाग गये थे और रात अंधेरी होने के कारण ये किसी को नहीं पहचान सकी जबकि यह साक्षी मृतक के साथ एक ही कमरे में सोई हुई थी । इस साक्षी ने शव को आंगन में होने की बात कही है जबकि अभियोजन साक्षी सं0 2 जो इस वाद के सूचक है ने शव को अपनी मां के कमरे में होने की बात कहा है । अभियोजन पक्ष के द्वारा इस वाद में न तो मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और न ही उसे प्रदर्श के रुप में अंकित कराया गया है जिससे घटनास्थल सिद्ध नहीं हो पाया गया है । अनुसंधान–कर्त्ता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट तौर से कहा है कि अभियुक्तगण के दोष स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने के समय कोई भी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया गया था और न ही उसके निशानदेही पर जप्त सामान के समय कोई भी स्वतंत्र साक्षी वहां उपस्थित था । पुलिस के समक्ष दिया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है । सफाई पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में जिस निर्णय का हवाला दिया गया है, वह इस वाद से मेल खाता है ।

28. अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों एवं उपरोक्त की गयी विवेचनाओं के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त ए–1 मंगरा हास्सा उर्फ राय, ए–2 सुखराम मुण्डा, ए–3 किसन मुण्डा उर्फ कृष्णा, एवं ए–4 मंगरा पाहन, उर्फ पप्पा को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 302 सपठित धारा 34 भादवि, 25(1–ए) / 35, 25(1–बी)ए, 26(i) एवं 26(ii), 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में असफल रहे हैं । अतः अभियुक्त ए–1 मंगरा हास्सा उर्फ राय, ए–2 सुखराम मुण्डा, ए–3 किसन मुण्डा उर्फ कृष्णा, एवं ए–4 मंगरा पाहन, उर्फ पाका को इस वाद से तथा इस वाद के सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है । अभियुक्त मंगरा पाहन उर्फ पाका जमानत पर हैं, अतः इन्हें तथा इनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है जबकि अन्य तीन अभियुक्तगण काराग्रस्त है । कार्यालय मुक्ति आदेश निर्गत करें, तत्पश्चात काराधीक्षक, उपकारा खूंटी को निर्देश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण किसी अन्य वाद में बांछित न हो तो उन्हें कारा से अविलम्ब रिहा करें ।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.26 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में अभियुक्तों की उपस्थिति में सुनाया गया ।

कर्यालय अभिलेख को समयानुसार अभिलेखगार में जमा करें ।

लेखापित एवं शुद्धित

प्राची मिश्रा	प्राची मिश्रा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय,	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय,
खूंटी	खूंटी
दिनांक 29.01.26	दिनांक 29.01.26